



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

प्रथम अपील संख्या 138/2020

1- सहायक अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सरिया, पुलिस थाना सरिया, तहसील बारमकेला, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

2 - कार्यपालन अभियंता संभाग-2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, श्री बसंत सोम,के द्वारा पिता बोधन सोम, आयु 47 वर्ष, कार्यपालन अभियंता, संचालन एवं प्रबंधन संभाग (सी.एस.पी.डी.सी.एल.)

---अपीलार्थी/प्रतिवादी

बनाम

1 - श्रीमती अनुसुइया विधवा गौरीशंकर पटेल उम्र लगभग 47 वर्ष व्यवसाय गृहिणी निवासी ग्राम बरपाली, थाना सरिया, तहसील बारमकेला, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

2 - जगन्नाथ पटेल, पिता स्वर्गीय गौरीशंकर पटेल, उम्र लगभग 24 वर्ष, व्यवसाय छात्र, निवासी ग्राम बरपाली, पुलिस थाना सरिया, तहसील बारमकेला, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

3 - कुमारी ज्योति पटेल, पिता स्वर्गीय गौरीशंकर पटेल, उम्र लगभग 22 वर्ष, व्यवसाय छात्र, निवासी ग्राम बरपाली, पुलिस थाना सरिया, तहसील बारमकेला, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

4 - श्रीमती बसंत कुंवर पटेल, विधवा तेजराम पटेल, उम्र लगभग 65 वर्ष, व्यवसाय अज्ञात, निवासी ग्राम बरपाली, पुलिस थाना सरिया, तहसील बारमकेला, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्ता

5 - छत्तीसगढ़ राज्य,कलेक्टर के द्वारा रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण



अपीलकर्तागण हेतु :		श्री अनूप पांडा, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 1 से 4 हेतु		श्री मनोज कुमार जयस्वाल, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 4/राज्य हेतु		श्री राहुल तमस्कर, शासकिय अधिवक्ता

युगल पीठ:--

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री सचिन सिंह राजपूत, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

13.08.2025

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत यह पहली अपील दायर की है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सारंगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा सिविल वाद संख्या बी-01/2018 में पारित दिनांक 31/01/2020 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री की वैधता, वैधानिकता और शुद्धता पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत वादी के वाद पर डिक्री की गई है और गौरीशंकर पटेल की बिजली का झटका लगने से हुई मृत्यु के लिए उनके पक्ष में 11,70,100/- रुपये का क्षतिपूर्ति वाद दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ दिया गया है

(सुविधा के लिए, पक्षकारों को इसके बाद विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में दी गई उनकी स्थिति तथा श्रेणी के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

2. उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत इस प्रथम अपील में निर्धारण हेतु बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- (I) क्या विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्तरवादी अपने कर्तव्य के निर्वहन और विद्युत तार के रखरखाव में वैधानिक रूप से लापरवाह हैं, सही है?
- (II) क्या वादी को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि न्यायसंगत और उचित है?

3. निर्धारण के लिए उपर्युक्त बिंदु निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होते हैं:---



(i) दिनांक 24/09/2017 की शाम को मृतक गौरीशंकर पटेल, जो अपना पानी का पंप चेक करने गया था, बिजली के खंभे से खींचे गए लाइव सर्विस तार के संपर्क में आ गया, जो भारी बारिश के कारण टूट कर जमीन पर गिर गया, और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

(ii) वादीगण, जो क्रमशः मृतक गौरीशंकर पटेल की पत्नी, दो बच्चे और माँ हैं, ने 15,00,000/- रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए एक वाद दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि वे पूरी तरह से मृतक पर निर्भर थे, जो एक किसान था और कृषि कार्य करके 9,000/- रुपये प्रति माह कमाता था और उसकी मृत्यु के बाद, उन्हें गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है, इसलिए, उन्हें उपरोक्त क्षतिपूर्ति उन्हें प्रदान की जाए।

(iii) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने संयुक्त रूप से अपना लिखित बयान दायर किया और वादी द्वारा किए गए कथनों का विरोध किया और कहा कि मृतक गौरीशंकर पटेल के बिजली पंप में लगे मीटर का एक आउटगोइंग तार टूटा हुआ था और खेत में पड़ा था, जो उसके संपर्क में आया और जिसके कारण बिजली का झटका लगने से उसकी मृत्यु हो गई, इस प्रकार, मृतक गौरीशंकर पटेल की मृत्यु उसकी अपनी लापरवाही के कारण हुई और प्रतिवादी कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

(iv) विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात्, वादीगण के वाद को दिनांक 31/01/2020 के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री द्वारा अधिनिर्णित किया तथा वादीगण के पक्ष में 11,70,100/- रुपए का प्रतिकर स्वीकृत किया। जिससे व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने इस आधार पर प्रथम अपील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि मृतक गौरीशंकर पटेल की मृत्यु प्रतिवादियों की लापरवाही के कारण हुई तथा वादीगण को दिया गया प्रतिकर अत्यधिक है, अतः आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है।



4. विद्वान विचारण न्यायालय ने 4 विवादक निर्धारित किए तथा उनका उत्तर नीचे दिए अनुसार दिया:---

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1) क्या मृतक गौरीशंकर की मृत्यु प्रतिवादीगण की घोर उपेक्षा, उदासीनता तथा लापरवाही के कारन विद्युत करंट से हुई है ?	"हाँ"
2) क्या मृतक गौरीशंकर की मृत्यु स्वयं की लापरवाही से विद्युत करंट से हुई है ?	"नहीं"
3) क्या वादीगण प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हाँ है तो किससे और कितना ?	"हाँ, वादीगण क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि ₹ 11,70,100 (ग्यारह लाख सत्तर हजार एक सौ रुपये) प्रतिवादी क्र. - 1 एवं 2 से संयुक्ततः अथवा पृथक्तः प्राप्त करने के अधिकारी है ।"
4) सहायता एवं वाद व्यय ?	"निर्णय के अंतिम कंडिका - 40 के अनुसार आंशिक स्वीकार"

5. संक्षेप में, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतक गौरीशंकर पटेल की मृत्यु प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की घोर लापरवाही और उदासीनता के कारण बिजली का झटका लगने से हुई और वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में 11,70,100/- रुपये दिए जाने का आदेश दिया।

6. अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अनुरूप पांडा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना बिल्कुल अनुचित है कि मृतक गौरीशंकर पटेल की मृत्यु प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की घोर लापरवाही और असावधानी के कारण बिजली का झटका लगने से हुई क्योंकि वह अपने बिजली पंप में लगे मीटर के आउटगोइंग तार के संपर्क में आ गया था जो टूट कर जमीन पर गिर गया था और इस तरह, बिजली का झटका लगने से उसकी मृत्यु हो गई और पंप मालिक स्वयं इन तारों के रखरखाव और देखभाल के लिए जिम्मेदार है न कि बिजली विभाग, इसलिए, उसकी अपनी लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा कि वादी को दिया गया क्षतिपूर्ति अधिक है, इस प्रकार, वादी के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री को अपास्त किये जाने योग्य है ।

7. उत्तरवादी संख्या 1 और 2/वादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जायसवाल, आक्षेपित निर्णय और डिक्री का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा न्यायसंगत और उचित है, इसलिए, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।



बिन्दु संख्या (I) पर चर्चा और विश्लेषण:---

9. अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का मामला यह है कि मृतक गौरीशंकर पटेल की मृत्यु उनकी स्वयं की लापरवाही के कारण हुई, तथापि, अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 विद्युत अधिनियम, 2003 (इसके बाद, "2003 का अधिनियम") की धारा 53 के अनुसार सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए बाध्य थे, जो निम्नानुसार प्रावधान करता है:---

"53. सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित प्रावधान। प्राधिकरण, राज्य सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित के लिए उपयुक्त उपाय निर्दिष्ट कर सकता है -

(क) जनता (जिसमें उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार में लगे व्यक्ति भी शामिल हैं) को विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार, या आपूर्ति की गई विद्युत के उपयोग, या किसी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र की स्थापना, रखरखाव या उपयोग से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचाना;

(ख) किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत चोट लगने, या किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुँचने या ऐसी संपत्ति के उपयोग में बाधा उत्पन्न होने के जोखिम को समाप्त करना या कम करना;

(ग) निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप प्रणाली के अलावा अन्य माध्यमों से विद्युत की आपूर्ति या संचरण पर प्रतिबन्ध लगाना;

(घ) विद्युत आपूर्ति या संचरण में होने वाली दुर्घटनाओं और विफलताओं की सूचना निर्दिष्ट प्रपत्र में समुचित आयोग और विद्युत निरीक्षक को देना;

(ङ) विद्युत की आपूर्ति या संचरण से संबंधित मानचित्र, रेखाचित्र और अनुभाग किसी उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी द्वारा रखना;

(च) उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या विद्युत निरीक्षक द्वारा या निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानचित्रों, रेखाचित्रों और अनुभागों का निरीक्षण करना;

(छ) किसी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र, या उपभोक्ता के नियंत्रण में किसी विद्युत उपकरण के संबंध में व्यक्तिगत चोट या संपत्ति को नुकसान या उसके उपयोग में बाधा के जोखिम को समाप्त करने या कम करने के उद्देश्य से की जाने वाली कार्यवाही को निर्दिष्ट करना।"

10. इसके अलावा, 2003 के अधिनियम की धारा 161, जो दुर्घटनाओं और जांच की सूचना प्रदान करती है, निम्नानुसार कहती है:---

"161. दुर्घटनाओं और जांच की सूचना।- (1) यदि किसी व्यक्ति की विद्युत लाइनों या विद्युत संयंत्र के किसी भाग में या उसके संबंध में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति या उपयोग के संबंध में कोई दुर्घटना



घटित होती है और दुर्घटना के परिणामस्वरूप मानव या पशु जीवन की हानि होती है या होने की संभावना है या किसी मानव या पशु को कोई चोट लगती है, तो ऐसा व्यक्ति घटना की सूचना और दुर्घटना से वास्तव में हुई किसी हानि या चोट की सूचना, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, विद्युत निरीक्षक या पूर्वोक्त ऐसे अन्य व्यक्ति को और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को देगा, जिन्हें समुचित सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे।

(2) समुचित सरकार, यदि वह उचित समझे, किसी विद्युत निरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से निम्नलिखित की जांच और रिपोर्ट करने की अपेक्षा कर सकेगी -

(क) जनता की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी दुर्घटना के कारण के बारे में, जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति या उपयोग के कारण या उसके संबंध में हुई हो, या

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों या किसी लाइसेंस के उपबंधों का, जहां तक वे उपबंध किसी व्यक्ति की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार और किस सीमा तक अनुपालन किया गया है।

(3) उपधारा (2) के अधीन जांच करने वाले प्रत्येक विद्युत निरीक्षक या अन्य व्यक्ति को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और दस्तावेजों तथा भौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और विद्युत निरीक्षक द्वारा अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अर्थ के अंतर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होगा।”

11. इस प्रकार, 2003 के अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने हेतु वैधानिक दायित्व के अधीन थे और मृतक गौरीशंकर पटेल की मृत्यु का कारण बनी दुर्घटना उनके वैधानिक कर्तव्य के पालन में उनकी ओर से विफलता है। 12. सर्वोच्च न्यायालय ने, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड बनाम शैल कुमारी, जो विद्युत-आघात से मृत्यु से संबंधित मामला 1 था, के मामले में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्युत कंपनी लापरवाही के सबूत के बिना भी क्षति के लिए उत्तरदायी होगी और निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

“14. प्रिवी काउंसिल ने क्यूबेक रेलवे, लाइट, हेड एंड पावर कंपनी लिमिटेड बनाम वैंड्री 2 मामले में यह माना है कि बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी, बिना किसी सबूत के, नुकसान के लिए उत्तरदायी है कि उसकी लापरवाही थी। यहाँ तक कि यह तर्क भी कि तेज़ हवा के कारण केबल टूट गए थे और उच्च-तनाव धारा निम्न-तनाव केबल के माध्यम से प्रतिवादियों के परिसर में पहुँच गई थी, न्यायोचित नहीं माना गया है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि अवैध कार्य किसी अजनबी के कारण हुआ, सड़क पर पड़े विद्युत प्रवाहित तार के संबंध में बोर्ड के दायित्व को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।”



13. शैल कुमारी (सुप्रा) में उपर्युक्त निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा रायलैंड्स बनाम फ्लेचर जे. ब्लैकबर्न 3 के मामले से उत्पन्न कठोर दायित्व के सिद्धांत के सामान्य कानून के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें उक्त निर्णय के लेखक ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:---

"कानून का सत्य नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने निजी प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि पर ऐसी कोई भी वस्तु लाता है, तथा उसे एकत्रित करके वहां रखता है, जिसके बाहर निकलने पर नुकसान होने की संभावना हो, तो उसे उसे अपने जोखिम पर रखना चाहिए, और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह प्रथम दृष्टया उस समस्त क्षति के लिए उत्तरदायी है, जो उसके बाहर निकलने के कारण स्वाभाविक रूप से हुई है।"

14. रायलैंड्स बनाम फ्लेचर (सुप्रा) में प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांत का सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा चरण लाल साहू बनाम भारत संघ 4 और गुजरात एसआरटीसी बनाम रमनभाई प्रभातभाई 5 के मामलों में अनुमोदन के साथ पालन किया गया था, जिसे कौशनुमा बेगम बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 6 में दोहराया गया है।

15. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ 7 के मामले में एक कदम आगे बढ़कर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किए गए:---

"जहां कोई उद्यम किसी खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधि में लगा हुआ है और ऐसी गतिविधि के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी को नुकसान होता है, तो उद्यम दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति देने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है; ऐसा दायित्व रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियम के तहत सख्त दायित्व के सिद्धांत के किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है।"

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का यह वैधानिक दायित्व था कि वे 2003 के अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिसमें वे विफल रहे हैं और जिस दुर्घटना में मृतक गौरीशंकर पटेल की विद्युत-आघात से मृत्यु हुई, वह अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से घोर लापरवाही दर्शाती है। इस प्रकार, शैल कुमारी (सुप्रा) और एम.सी. मेहता (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के आलोक में, विचारण न्यायालय ने सही रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक गौरीशंकर पटेल की मृत्यु विद्युत-आघात से अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की घोर लापरवाही के कारण हुई और वे वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी हैं। बिन्दु सं. (II) पर चर्चा तथा विश्लेषण:---

17. जहां तक वादी को दिए गए मुआवजे की मात्रा का सवाल है, लता वाधवा बनाम बिहार राज्य 8 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जीएम, केरल एसआरटीसी बनाम सुसम्मा थॉमस 9 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की आधिकारिक घोषणा का अनुमोदन किया है और गुणक विधि के पक्ष में निम्नानुसार टिप्पणी की है:---



“8. जहाँ तक मृत्यु के मामलों में मुआवज़े के निर्धारण का संबंध है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तीन निर्णयों के अलावा, जिनका उल्लेख इस न्यायालय के दिनांक 15-12-1993 के आदेश में किया गया था, इस न्यायालय ने जी.एम., केरल एसआरटीसी बनाम सुसम्मा थॉमस (सुप्रा) के मामले में इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया था। उपर्युक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने के लिए क्षति का आकलन करने के लिए, कई अनिश्चितताओं को ध्यान में रखना होगा, जैसे मृतक और आश्रितों की जीवन प्रत्याशा, मृतक द्वारा अपने शेष जीवन के दौरान अर्जित की गई राशि, उस अवधि के दौरान आश्रितों के लिए उसके द्वारा दिया गया योगदान, मृतक के जीवित न रहने की संभावना या आश्रितों द्वारा अपने अनुमानित शेष जीवन प्रत्याशा तक जीवित न रहने की संभावना, मृतक को बेहतर रोजगार या आय मिलने की संभावना या उसका रोजगार या आय पूरी तरह से समाप्त हो जाने की संभावना। याचिकाकर्ताओं की न्यायालय ने आगे कहा कि क्षतिपूर्ति की गणना करने का तरीका यह है कि मृतक की स्वयं तथा उसके आश्रितों के भरण-पोषण के लिए उपलब्ध शुद्ध आय का पता लगाया जाए तथा उसमें से उसकी आय का वह भाग घटाया जाए जिसे मृतक स्वयं पर खर्च करने का आदी था, जहां तक आत्म-भरण-पोषण तथा आनंद दोनों का प्रश्न है, तथा यह पता लगाया जाए कि मृतक अपनी शुद्ध आय का कितना भाग आश्रितों के लाभ के लिए खर्च करने का आदी था तथा इसके बाद, उसे वर्षों की खरीद की उचित संख्या को दर्शाने वाले आंकड़े से गुणा करके पूंजीकृत किया जाए। यह भी कहा गया कि गणना का अधिकांश भाग अनिवार्य रूप से परिकल्पना के दायरे में ही रहता है और उस क्षेत्र में, अंकगणित एक अच्छा सेवक तो है, लेकिन एक बुरा स्वामी भी, क्योंकि अक्सर कई अकल्पनीय बातें होती हैं। प्रत्येक मामले में, "समग्र तस्वीर ही मायने रखती है", और न्यायालय को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से हुए नुकसान का आकलन करने का प्रयास करना चाहिए। गुणक पद्धति की स्वीकार्यता पर, न्यायालय ने टिप्पणी की: गुणक पद्धति तार्किक रूप से सुदृढ़ और कानूनी रूप से सुस्थापित विधि है जिससे 'उचित' मुआवज़ा सुनिश्चित होता है और अधिनिर्णय में एकरूपता और निश्चितता आती है। इस पद्धति से विचलन केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों और अत्यंत असाधारण मामलों में ही उचित ठहराया जा सकता है।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि गणना की उचित विधि गुणक विधि है और अपवादात्मक तथा असाधारण मामलों को छोड़कर, इसमें कोई भी विचलन, सिद्धांत की असंगति, एकरूपता का अभाव और क्षतिपूर्ति के आकलन में अप्रत्याशितता का तत्व उत्पन्न करेगा। न्यायालय ने कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए विपरीत विचारों को अस्वीकार कर दिया और इस विवादक पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। अंग्रेजी निर्णयों की एक श्रृंखला पर विचार करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया कि गुणक विधि में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आश्रितता की हानि या गुण्य का निर्धारण और गुण्य को एक उपयुक्त गुणक द्वारा पूंजीकृत करना शामिल है। गुणक का चुनाव मृतक की आयु (या दावेदारों की आयु, जो भी अधिक हो) और इस गणना के आधार पर किया जाता है कि यदि स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त ब्याज दर पर निवेश की गई पूंजी राशि को वार्षिक ब्याज के रूप में गुणक प्राप्त होगा। इसका निर्धारण करते समय, इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंततः पूंजी राशि भी उस अवधि में समाप्त हो जानी चाहिए जिसके लिए



आश्रित रहने की अपेक्षा की जाती है। इस न्यायालय के उपरोक्त आधिकारिक निर्णय के तहत और न्यायमूर्ति श्री चंद्रचूड़ द्वारा रिपोर्ट में उपरोक्त गुणक पद्धति के आधार पर किए गए निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए सुश्री रानी जेठमलानी के इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि वर्तमान मामले में मुआवजे के निर्धारण के लिए स्थापित सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का यह आगे का तर्क कि किया गया निर्धारण मनमाना है, किसी भी तरह से निराधार है, क्योंकि न्यायमूर्ति श्री चंद्रचूड़ ने सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए गुणक को सही ढंग से लागू किया है। नुकसान वित्तीय नुकसान के आधार पर दिया जाता है तथा वित्तीय नुकसान का आकलन उसी तरह किया जाता है जैसे आय का संभावित नुकसान होता है। मूल आंकड़ा, शुद्ध आय होने के बजाय, आश्रितों के समर्थन में शुद्ध योगदान है, जो मृतक की भविष्य की आय से प्राप्त होता है। जब मूल आंकड़ा निश्चित हो जाता है, तो उस संभावित अवधि का अनुमान लगाना होता है जिसके लिए आय या अंशदान जारी रहता और फिर एक उपयुक्त गुणज (खरीद के वर्षों की संख्या) निर्धारित करना होता है, जो आय में वृद्धि या गिरावट के सिद्ध जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, कुल हानि को उसके वर्तमान मूल्य तक कम कर देगा। मैलेट बनाम मैकमोनागल 10 के मामले में लॉर्ड डिप्लॉक ने अनुमान के विभिन्न चरणों में उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं और उनसे निपटने के व्यावहारिक तरीकों का पूर्ण विश्लेषण दिया गया है। डेविस बनाम टेलर 11 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय, भविष्य की अनिश्चित घटनाओं पर विचार करते हुए, यह निर्णय नहीं करता है कि संतुलन में एक चीज के घटित होने की संभावना दूसरी चीज से अधिक है या नहीं, बल्कि केवल संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। यदि कोई संभावना नगण्य और दूर की हो, तो उसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। गणना की कोई भी विधि वास्तविक नुकसान की भरपाई की आवश्यकता के अधीन होती है। लेकिन नुकसान की गणना के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लॉर्ड राइट द्वारा डेविस बनाम पॉवेल डफ्रिन एसोसिएटेड कोलियरीज़ लिमिटेड 12 के एक अंश में बताया गया है, जिसका अक्सर उल्लेख किया जाता है, और वह इस प्रकार है: (सभी ई. आर. पी. 665 ए-बी)

"प्रारंभिक बिंदु मृतक द्वारा अर्जित मजदूरी की राशि है, जिसका निर्धारण कुछ हद तक उसके रोजगार की नियमितता पर निर्भर हो सकता है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि उसके अपने व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए कितनी राशि की आवश्यकता थी या खर्च किया गया था। शेष राशि एक मूल आंकड़ा देगी जिसे आम तौर पर एक निश्चित संख्या में वर्षों की खरीदारी के आधार पर एकमुश्त राशि में बदल दिया जाएगा।"

18. इसके अलावा, एमसीडी बनाम उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन 13 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अपकृत्य दायित्व से निपटने के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता पर बल दिया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: ---

"99. यह विधि सर्वविदित है कि एक संवैधानिक न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने पर राज्य और उसके अधिकारियों को आर्थिक क्षतिपूर्ति दे सकता है, लेकिन ऐसी स्थितियों में



हुए नुकसान को मापने की कोई प्रणाली या तरीका नहीं है। अक्सर न्यायालय के लिए विभिन्न तथ्यात्मक स्थितियों में नुकसान का निर्धारण करना एक कठिन कार्य होता है। निजी अपकृत्य दावों में देय मुआवज़े के निर्धारण के लिए सामान्यतः अपनाए जाने वाले मानदंड उस समय लागू नहीं होते जब एक संवैधानिक न्यायालय उन मामलों में मुआवज़ा निर्धारित करता है जहाँ उसके नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

100. डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 14 में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने माना कि क्षति की गणना के लिए कोई स्ट्रेटजैकेट फार्मूला नहीं है और हम पाते हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति देने में कोई एकरूपता या मानदंड नहीं अपनाया गया है। रुदुल साह मामले में [(1983) 4 एससीसी 141:1983 एससीसी (क्रि) 798] इस न्यायालय ने क्षति को मापने के लिए "उपशामक" शब्दावली का प्रयोग किया और "तदर्थ" सूत्र लागू किया गया। सेबेस्टियन हॉग्रे मामले [(1984) 3 एससीसी 82 : 1984 एससीसी (क्रि) 407 : एआईआर 1984 एससी 1026] में, इस न्यायालय द्वारा मौद्रिक मुआवज़ा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अनुकरणीय" लागत थी और अपनाया गया सूत्र "दंडात्मक" था। भीम सिंह मामले [(1985) 4 एससीसी 677 : 1986 एससीसी (क्रि) 47 : एआईआर 1986 एससी 494] में, न्यायालय द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति "क्षतिपूर्ति" थी और अपनाई गई पद्धति "अपकृत्य सूत्र" थी। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (सुप्रा) में, इस न्यायालय द्वारा मुआवज़ा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मौद्रिक मुआवज़ा" थी। अपनाया गया सूत्र "लागत से लागत" पद्धति था। इसलिए, न्यायालयों ने एक समान मानदंड नहीं अपनाया है क्योंकि कोई वैधानिक सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है।

101. दुनिया भर के संवैधानिक न्यायालयों को इन बाधाओं को पार करना होगा। राज्य और उसके अधिकारियों के विरुद्ध एक समान नीति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने और उसका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने में विफलता के कारण, न्यायालय कभी-कभी ऐसे नियम अपना लेता है जो निजी विधि उपचार में लागू होते हैं, जिसके लिए न्यायालयों और विधानों ने विभिन्न विधियाँ विकसित की हैं, जैसे आय की हानि, भविष्य की आय क्षमता में कमी, चिकित्सा व्यय, मानसिक और शारीरिक कष्ट, संपत्ति की क्षति, आदि। संवैधानिक अपकृत्यों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति की गणना में इन विधियों को अपनाना उचित नहीं हो सकता है।

103. क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी दायित्व केवल निजी विधि के अंतर्गत अपकृत्य कार्रवाई के रूप में ही मौजूद है, जो आमतौर पर समय लेने वाली और महंगी होती है, और इसलिए जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो दावेदार शीघ्र उपचार के लिए संवैधानिक न्यायालयों का रुख करने का प्राथमिकता करते हैं। संवैधानिक न्यायालय, निश्चित रूप से, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही करेंगे जब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण गंभीर क्षति हुई हो, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21



के अंतर्गत। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपने तरीके अपना सकता है।

104. संवैधानिक न्यायालयों की कार्रवाई न केवल पीड़ितों को मुआवजा देने और उनके संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करने का प्रयास करती है, बल्कि बिना किसी उचित बहाने या किसी अप्रत्यक्ष या अनुचित उद्देश्य के भविष्य में संवैधानिक कदाचार को रोकने का भी प्रयास करती है। संवैधानिक न्यायालय, व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के उचित मामलों में, दंडात्मक हर्जाना दे सकते हैं। हालाँकि, इसके लिए आम तौर पर अपराधी की ओर से दुर्भावनापूर्ण आशय की उपस्थिति, यानी जानबूझकर कोई गलत कार्य करना, आवश्यक होता है।

105. प्रतिपूरक क्षति का उद्देश्य दावेदार को खोई हुई राशि की भरपाई/प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक मौद्रिक राशि प्रदान करना है, क्योंकि अपकृत्य में क्षतिपूर्ति आम तौर पर दावेदार को उस स्थिति में रखने के लिए दी जाती है, जिसमें वह होता, यदि अपकृत्य नहीं हुआ होता; जिसे आम तौर पर सामान्य क्षति और विशेष क्षति के शीर्षकों के अंतर्गत परिमाणित किया जाता है। दंडात्मक क्षति का उद्देश्य गलत काम करने वाले को सुधारना या उस आचरण में लिप्त होने से रोकना है जो दावे का आधार बना था। दंडात्मक क्षति का उद्देश्य दावेदार को वह क्षतिपूर्ति प्रदान करना नहीं है जिसका दावा वह अपकृत्य के मामले में एक साधारण निजी कानून के दावे में कर सकता है। दंडात्मक क्षति संवैधानिक न्यायालय द्वारा तब दिया जाता है जब गलत काम करने वाले का आचरण घोर कपटपूर्ण हो।

108. दंडात्मक हर्जाने का निर्धारण करते समय संवैधानिक न्यायालय पर कई कारकों का प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि अपराधी का अवज्ञाकारी आचरण, कानून की प्रकृति, किए गए दोष की गंभीरता, परिस्थितियाँ, आदि। दंडात्मक हर्जाना तब दिया जा सकता है जब अपराधी का आचरण "अंतरात्मा को झकझोर दे" या "अपमानजनक" हो या सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति जानबूझकर और "अनावश्यक उपेक्षा" हो। आम तौर पर, गलत करने वाले के आचरण तथा पीड़ित की क्षति मध्य सीधा संबंध होना चाहिए।"

19. उपरोक्त निर्णयों (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतक गौरीशंकर पटेल की आय 9,000/- रुपये प्रति माह निर्धारित करने और मृतक की आयु 51 वर्ष मानते हुए भविष्य की आय के रूप में 10% लागू करने के बाद, ¼ भाग व्यक्तिगत आय के रूप में घटा दिया है, जिससे उसकी वार्षिक आय 89,100/- रुपये के रूप में गणना की गई है और उसके बाद, 11 के गुणक को लागू करते हुए और संघ की हानि के तहत 1,60,000/- रुपये, अंतिम संस्कार व्यय के रूप में 15,000/- रुपये और संपत्ति की हानि के रूप में 15,000/- रुपये प्रदान करते हुए, कुल 1,00,000 रुपये का क्षतिपूर्ति दिया है।



वाद दायर करने की तिथि अर्थात 15/03/2018 से इसकी वसूली की तिथि तक 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ वादी के पक्ष में 11,70,100/- का भुगतान किया जाता है, जो कि हमारी सुविचारित राय में न्यायसंगत और उचित है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हम एतद्द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में अभिलिखित निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं और इस तात्कालिक अपील में कोई गुण-दोष नहीं पाते हैं।

20. तदनुसार, यह प्रथम अपील गुण-दोष रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा पक्षकारों को अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ते हुए खारिज की जाती है।

21. तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाए।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(सचिन सिंह राजपूत)
न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

